मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

Tel : 0755-2550091, Fax : 2550094, e-mail : jcfinance_nreg@rediffmail.com, website : www.nregs-mp.org

क्रमांक/5385 /MGNREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल, दिनांक 05/05/12

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–एम.पी.
जिला – समस्त

विषय :– वित्त वर्ष 2012–13 में MIS संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त करने में MIS पूर्णता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी परिप्रेक्ष्य में योजना के व्यय एवं तत्संबंधी MIS को समानांतर रूप से रखने की भावना के तारतम्य में पूर्व में निरंतर ही समय–समय पर यथोचित निर्देश जारी किये गये है।

MIS समस्याओं को विशिष्टीकृत रूप से निराकरण हेतु परिषद् के पत्र क्र. 5225/MGNREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल दिनांक 29.5.2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा MIS समस्याओं के निराकरण हेतु परिषद् स्तर पर सेल का गठन किया गया है।

आपके जिले में MIS संबंधी समस्याओं की सूची (यदि कोई समस्या हो तो) तत्काल परिषद् की MIS शाखा को 10 जून 2012 तक MIS शाखा के ई–मेल पर भेजी जाये। समय सीमा महत्वपूर्ण है। परिषद् के MIS प्रभारी को इनके पंजीयन एवं पंजीयन अनुसार निराकरण हेतु निर्देशित किया जा रहा है। परिषद् स्तर पर गठित सेल इस संबंध में आवश्यक समन्वयक का कार्य करेगी। संलग्न प्रपत्र में परिषद् को जानकारी भी भेजी जाये।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

पृ.क्रमांक/5386 /MGNREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल, दिनांक 05/05/12

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. सिस्टम एनालिस्ट, परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं परिषद् के उपरि संदर्भित पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवही हेतु। निर्धारित समय–सीमा के बाद जिलों से प्राप्त जानकारी एवं कृत कार्यवाही का विश्लेषण पत्रक परिषद् की संबंधित सेल में दिनांक 12 जून 2012 तक प्रस्तुत किया जाये।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

प्रपत्र

जिले का नाम : ----------

MIS की समस्या कृपया विवरण दें	समस्या का प्रकार तकनीकी या अन्य कारण विवरण दें	जिले द्वारा निराकरण हेतु की गई कार्यवाही	किन कारणों से समस्या जिला स्तर पर निराकृत नहीं हो सकी	परिषद् को यदि कॉलम 4 अनुसार समस्या पंजीबद्ध कराने हेतु ई–मेल भेजा गया है तो ई–मेल भेजने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

हस्ताक्षर
अति. जिला कार्यक्रम सन्वयक

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 5225 / MGNREGS-MP / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल, दिनांक 29 / 06 / 12

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक, स्पीड पोस्ट से
महात्मां गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषय :– मनरेगा अन्तर्गत जिलो मे उपलब्ध राशि का प्रारंम्भिक शेष कम करने की योजना परिपत्र क्रमांक– 1

––00––

विषयान्तर्गत जिलो में मनरेगा अन्तर्गत धन राशि का समुचित वित्तीय प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी स्तर पर राशि अवरूद्व न हो वही दूसरी ओर योजना संचालन में अवरोध भी उत्पन्न न हो एवं इसी के साथ व्यय का नियमानुसार समानान्तर रूप से एमआईएस भी होता रहे।

स्पष्ट है. वित्तीय प्रबंधन के अनुश्रवण को सूक्ष्मता से करना होगा। जिला स्तर पर यदि राशि का उपयोग एवं उसका एमआईएस नही हो पाता है तो समग्र रूप से प्रदेश स्तर में बड़ी मात्रा में राशि अवरूद्व होकर प्रारम्भिक शेष दिखाई पड़ती है। इसका परिणाम स्वरूप भारत सरकार स्तर से अपेक्षित राशि प्राप्त नही हो पाती है।

जिलो में प्रारम्भिक शेष कम रहे अतः निम्न कार्यवाही तत्काल प्रभाव से आरम्भ करे:–

1. एप्राईजल कमेटी की बैठक में उपलब्ध धनराशि का 70 प्रतिशत एमआईएस होने पर ही जिला रजिस्ट्रेशन कराने हेतु पात्र होगा।
2. जिला विभिन्न ग्राम पंचायतों अथवा लाईन विभाग से आवश्यकतानुसार राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।
3. जिला योजना समिति की बैठकों में लाईन विभाग की समीक्षा कर राशि वापस प्राप्त कर सकेगा। इस संबंध में पूर्व में भी म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 11684 एनआरईजीएस–एमपी / एनआर–4 / 2010 दिनांक 18.11.2010 जारी हुआ था एवं परिषद् स्तर से भी विनिम्न पत्र जारी किये गये थे।
4. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा योजना संचालन के धनराशि निर्गमन आदेश क्र. 1, 2 एवं 3 अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनकी मैकेनिजम से राशि अवरूद्ध नहीं होगी कार्य भी होगा अतः प्रत्येक जिला इनका कड़ाई से पालन करे। शासनादेशों का पालन अनिवार्य है।
5. जिले रू0 50 हजार से कम आहरण, रू0 50 हजार से रू0 1 लाख तक का आहरण, रू0 1 लाख से रू0 2 लाख तक का आहरण, रू0 2 लाख से रू0 4 लाख तक का आहरण, रू0 4 लाख से अधिक का आहरण एवं कोई आहरण नहीं के अंतर्गत प्रति पाक्षिक रूप से ग्राम पंचायतों की समीक्षा करेंगे एवं इस आधार पर राशि ग्राम पंचायतों से वापस प्राप्त कर सकेंगे या उनको दे सकेंगे। ऐसा करने से वित्तीय संयवहारो पर जिले का सूक्ष्म नियंत्रण रहेगा।

निरंतर 2

6. व्यय को तत्काल ही MIS करने एवं MIS की तकनीकी समस्याओं से निराकरण हेतु परिषद् के संयुक्त आयुक्त प्रशासन, संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा, MIS प्रभारी सिस्टम एनालिस्ट एवं जिले के लेखाधिकारी एवं सीनियर डाटा मैनेजर का एक सेल गठित किया जाता है। जिला अपनी एमआईएस की तकनीकी समस्या को परिषद के एमआईएस प्रभारी को ई–मेल से अवगत करायेगा। परिषद् स्तर पर उपयुक्त सेल में इन समस्याओं को अध्ययन कर पंजीबद्ध किया जायेगा। परिषद् के एमआईएस प्रभारी जिले को ई–मेल से पंजीयन का नम्बर देंगे एवं पंजीयन क्रमांक अनुसार ही समस्याओं का निराकरण करवाया जायेगा। यह अवश्य उल्लेखनीय है कि जिले तकनीकी समस्याओं को पंजीबद्ध कराते समय भली भाति उनके स्तर पर प्रकरण का अध्ययन कर ले ताकि समस्या वास्तविक रूप से ही पंजीबद्ध हो। आवश्यक होने पर उपर्युक्त जिले के अधिकारियों को परिषद् मुख्यालय भोपाल में सेल मे आमंत्रित किया जायेगा।

उपर्युक्त संबंध में किसी भी समस्या के निराकरण/समन्वय हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता या परिषद के संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा को अवगत कराया जा सकेगा।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र./ 5226 /MGNREGS-M.P/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल,दिनांक 29/05/12

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभायुक्त, समस्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल